


4.2.2026

पत्रावली पेश हुई।
पक्षकारान वकील उपस्थित।

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.
सी. के तहत वास्तें आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि राजस्व वाद सं. 25/2021
अनवान हरदाराम बनाम मोटाराम प्रकरण श्रीमानजी के अदालत हाजा मे
विचाराधीन था। जिसकी पेशी दिनाक 04.08.2022 को आगामी कार्यवाही हेतु
प्रतिवादीगण के जबाब मे मुकर्रर थी। कि दिनाक 04.08.2022 को
वादीगण/प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता हरीश चौधरी से सम्पर्क नही कर सके और न
ही स्वय अदालत में उपस्थित हो सके । वादीगण अधिवक्ता गुडामालानी मुख्यालय
में स्थित न्यायालय मे विचाराधिन प्रकरणो मे व्यस्त होने से सिणधरी मुख्यालय मे


तहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

स्थित अदालत में हाजीर नहीं हो सके। न ही इस बारे में प्रार्थीगण/वादीगण को सूचना दी। न ही इस बारे अपने किसी सहायक को हिदायत कर पाये तथा वकील साहब से प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तो विचाराधीन होने का कहा तथा यह बताया गया कि जूरूरत पडने पर आप को बुलाया जावेगा। कि वादी/प्रार्थी का वाद पैतृक सम्पति में खातेदारी धोषणा का प्रतिवादी/विप्रार्थीगण के विरुद पेश किया तथा प्रतिवादी/विप्रार्थीगण ने भी बागोडा स्थित न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण निर्णित होने पर जानकारी चाहने पर वकील साहब ने उक्त वाद खारीज होने की सुचना दी जिस पर बिना देरी के माननीय न्यायालय से प्रति प्राप्त कर आवेदन पेश किया जा रहा है। यदि वाद पुन नम्बर पर नहीं लिया गया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अत्यधिक क्षति होगी। न्याय प्राप्त होने से वचित रह जावेगा। कि प्रार्थी अनपढ ग्गप्रमीण है जिसे कानूनी की जानकारी नहीं है। इस प्रकार माननीय न्यायालय हाजा में यह वाद/आवेदन 04.08.2022 को अदालत में प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर नहीं होने से वाद/आवेदन अदम पैरवी में खारीज किया गया और वादी/प्रार्थी को उक्त वाद/आवेदन खारीज होने की ज्ञात दिनाक 30.07. 2025 को नकल प्राप्त करने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क होने से नया अधिवक्ता नियुक्त कर यह प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी दुर दराज के अनपढ गमीण होने से कानूनी प्रकिया की जानकारी नहीं होने से हाजीर अदालत नहीं रहे हैं। साथ ही प्रार्थीगण/वादीगण ने हुई सदभावीक देरी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम की धारा 5 का अलग से पेश किया जा रहा है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण/प्रार्थीगण का वाद/आवेदन पत्र पुन नम्बर Restoration, किया जाकर वादी/ प्राथी को प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित वास्ते पुन नम्बर पर लिया जाकर वादी/प्रार्थी को अग्रिम कार्यवाही कराने की आज्ञा प्रदान करावे। प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में त्ज 2022.23 नचचण्ड च्हम 126 व त्ज 2021;1द्व च्हम 364 के उद्वरण प्रस्तुत किये।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी ने अपनी ओर जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस के तथ्यों में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में दायर वाद 2021 से विचाराधीन था, जिसमें वादीगण एवं उनके वकील की पैरवी के अभाव में दिनांक 04.08.2022 को खारिज हो चुका है। अब प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने की नीयत से लगभग 3 साल बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यदि प्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता नियमित रूप से पैरवी हेतु उपस्थित रहते तो खारिज तिथि के बाद अथवा उससे आगामी 3 माह तक कह अवधि के भीतर-भीतर अपने ओर से रेस्टोरेंशन का प्रार्थना पत्र दायर करते, परन्तु उनके द्वारा लम्बी अवधि व्यतीत होने के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 04.08.2022 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि मूल वाद पक्षकारान के मध्य खातेदारी घोषणा को लेकर दायर किया गया था, जो कि तत्समय वादी वकील से सम्पर्क के अभाव में खारिज होने की जानकारी विलम्ब से होने उसके लिए धारा 5 कर प्रार्थना पत्र भी सलंगन प्रस्तुत किया गया है, जहां तक किसी न्यायालय का मानना है कि खातेदारी की घोषणा हेतु दायर किसी वाद में प्रथम दृष्टया प्रकरण की स्थिति एवं उसका विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत दोनो नजीर इस प्रकरण की प्रकृति पर चस्पा होते हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2022 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।


सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी